न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–142/2023 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय– 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

गुरमीत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रायसिखपता–वार्ड नं0 10, पो0 सुरेवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ एवं गुरमीत सिंह पता– ग्राम पंचायत सुरेवाला, 12 सीडीआर, वार्ड नं0 10, सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

..................(मूल ऋणी,बंधकग्रहिता) अप्रार्थी

....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश दिनांकः–29.01.2025

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने दिनांक 23.04.2019 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' सं0 L9001060117280664 के तहत 4,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत सुरेवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख सं0 35 दिनांक 17.07.2017 पैमाईशी 2587 वर्गफुट अर्थात 287.44 वर्गगज है जो कि गुरमीत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रायसिख साकिन–वार्ड नं0 10, सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारी किया गया हैं, जिसे उप–पंजीयक टिब्बी के समक्ष दिनांक 01.09.2017 को गुरमीत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह के पक्ष में पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार गुरमीत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रायसिख साकिन–वार्ड नं0 10, सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ उक्त भूखण्ड पैमाईशी 2587 वर्गफुट अर्थात 287.44 वर्गगज का एकल स्वामी है। अप्रार्थी ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 01.01.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राषि 2,90,460/–रूपये (अखरे दो लाख नब्बे हजार चार सौ साठ रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियॉं व अन्य खर्चे दिनांक 05.01.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 07.01.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 13.01.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थी को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 28.02.2023 को जारी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

की थी। प्रार्थी बैंक द्वारा सहवन से उक्त नोटिस में प्रोपर्टी का ब्योरा गलत टंकित हो जाने के कारण पुनः Corrigendum नोटिस दिनांक 16.06.2023 का दिनांक 20.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की ।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत सूरेवाला पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख सं0 35 दिनांक 17.07.2017 पैमाईशी 2587 वर्गफुट अर्थात 287.44 वर्गगज है, जिसका एकल स्वामी गुरमीत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रायसिख साकिन वार्ड नं0 10, सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner